

F.No. 8/4/2010-Wakf (Vol.II)
Government of India
Ministry of Minority Affairs
(Wakf Division)

11th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhavan,
CGO Complex, New Delhi 110 003.

12-11

Dated the January , 2017

To


The Secretary,
Central Waqf Council,
Central Waqf Bhavan,
P 13 & 14, Sector 6,
Pushap Vihar, Opp. Family Court Saket,
New Delhi 110017.

Subject: Notification of Central Waqf Council (Group "A, B and C" Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Amendment Rules, 2017.

Sir,

I am directed to inform that Central Waqf Council (Group "A, B and C" Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Rules, 2014 were scrutinized by the Committee on Subordinate Legislation, Lok Sabha and based on their comments/observations, some amendments have been made in the above Recruitment Rules. In the above context, a copy of bilingual notification of the amendments, published in the Gazette of India, Extraordinary on 9.1.17, is sent herewith for necessary action. A copy of the notification may please be posted on the website of CWC also.

Yours faithfully,



12/1/17
(Pradeep Kumar)

Under Secretary to the Government of India

Tele : 24364286

Encl : As above.

✓ Copy, alongwith enclosure, forwarded to the Technical Director, NIC for uploading on this Ministry's website.


12/1/17
(Pradeep Kumar)

Under Secretary to the Government of India



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2017/पौष 19, 1938

No. 15]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2017/PAUSA 19, 1938

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 15(अ).—केन्द्रीय सरकार, वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) के खंड 12 के उप-खंड (1) और उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय वक्फ परिषद् (समूह "क, ख और ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय वक्फ परिषद् (समूह "क, ख और ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय वक्फ परिषद् (समूह "क, ख और ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2014 की अनुसूची में, —
(I) सहायक (लेखा)/लेखाकार पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—
"टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।"
- (II) सहायक (विधि) पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—
"टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।"
- (III) सहायक (विकास)/सहायक पद से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—
"टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

(IV) आशुलिपिक पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने,

(क) स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“**टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

(ख) स्तंभ 7 के अधीन प्रविष्टियों में, “(क) आवश्यक” शीर्षक के अधीन, (iii) मद के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(iii) माइक्रोसाफ्ट आफिस (एम.एस. वर्ड, एक्सल, पावर पॉइंट आदि), इंटरनेट सर्फिंग, ई-मेल में कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान और कंप्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।”

(V) ग्रंथालय, प्रलेखन तथा संदर्भ सहायक पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“**टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

(VI) सहायक प्रोग्रामर पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

(VII) उच्च श्रेणी लिपिक पद से संबंधित क्रम संख्या 12 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“**टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

(VIII) लेखा लिपिक पद से संबंधित क्रम संख्या 13 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“**टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

(IX) अवर श्रेणी लिपिक पद से संबंधित क्रम संख्या 14 के सामने,

(क) स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

(ख) स्तंभ 7 के अधीन प्रविष्टियों में, “(क) आवश्यक” शीर्षक के अधीन, (ii) मद के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(ii) माइक्रोसाफ्ट आफिस (एम.एस. वर्ड, एक्सल, पावर पाइंट आदि), इंटरनेट सर्फिंग, ई-मेल में कम्प्यूटर का पर्याप्त ज्ञान और कम्प्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 केडीपीएच/9000 केडीपीएच के समरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।”

(X) स्टेनो टाइपिस्ट पद से संबंधित क्रम संख्या 15 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

(XI) डिस्पेच राइडर/ड्राइवर-कम-डिस्पेच राइडर पद से संबंधित क्रम संख्या 16 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

(XII) मल्टी-टास्किंग स्टॉफ (एमटीएस) पद से संबंधित क्रम संख्या 17 के सामने, स्तंभ 6 के अधीन प्रविष्टियों में टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।”

[फा. सं. 8/4/2010-वक्फ (खंड. II)]

जे. आलम, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 363(अ), तारीख 28 मई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 617(अ), तारीख 22 जून, 2016 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2017

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 12 of the Waqf Act, 1995 (43 of 1995), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Waqf Council (Group 'A, B and C' Non-Gazetted, Non-Ministerial posts) Recruitment Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Waqf Council (Group 'A, B and C' Non-Gazetted, Non-Ministerial posts) Recruitment Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Waqf Council (Group 'A, B and C' Non-Gazetted, Non-Ministerial posts) Recruitment Rules, 2014, in the Schedule,-
 - (I) against serial number 6, relating to the post of Assistant (Accounts) / Accountant, in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

“Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;
 - (II) against serial number 7, relating to the post of Assistant (Legal), in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

“Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;
 - (III) against serial number 8, relating to the post of Assistant (Development) /Assistant, in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

“Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;
 - (IV) against serial number 9, relating to the post of Stenographer,-
 - (A) in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

“Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;
 - (B) in the entries under column 7, under the heading “(a) Essential”, for item (iii), the following item shall be substituted, namely:-

“(iii) Adequate Knowledge of computer in Microsoft Office (MS Word, Excel, Power point, etc.), internet surfing, e-mailing; and having typing speed of 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in computer corresponding to 10500 Key Depression Per Hour (KDPH) or 9000 KDPH on an average of 5 key depression for each word.” ;
 - (V) against serial number 10, relating to the post of Library, Documentation and Reference Assistant, in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

“Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;

- (VI) against serial number 11, relating to the post of Assistant Programmer, in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-
- “Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;
- (VII) against serial number 12, relating to the post of Upper Division Clerk, in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-
- “Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;
- (VIII) against serial number 13, relating to the post of Accounts Clerk, in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-
- “Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;
- (IX) against serial number 14, relating to the post of Lower Division Clerk,-
- (A) in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-
- “Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;
- (B) in the entries under column 7, under the heading “(a) Essential”, for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-
- “(ii) Adequate Knowledge of computer in Microsoft Office (MS Word, Excel, Power point, etc.), internet surfing, e-mailing; and having typing speed of 35 words in English or 30 words in Hindi per minute in computer corresponding to 10500 Key Depression Per Hour (KDPH) or 9000 KDPH on an average of 5 key depression for each word.” ;
- (X) against serial number 15, relating to the post of Steno Typist, in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-
- “Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;
- (XI) against serial number 16, relating to the post of Dispatch Rider / Driver-cum- Dispatch Rider, in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-
- “Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.” ;

(XII) against serial number 17, relating to the post of Multi Tasking Staff, in the entries under column 6, for the Note, the following Note shall be substituted, namely:-

“**Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangri Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.”

[F. No. 8/4/2010-Waqf (Vol.II)]

J. ALAM, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 363(E), dated the 28th May, 2014 and amended vide notification number G.S.R. 617(E), dated the 22nd June, 2016.